

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/एसटी-सीएसएस/2017-18 दिनांक : 21.08.2018

जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक शिक्षा,

झालावाड़/गंगानगर/हनुमानगढ़/बूंदी/सीकर-प्रथम

/बीकानेर/चित्तौड़गढ़/सीकर-द्वितीय


विषय : पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति (कक्षा 09 व 10) अतिरिक्त बजट आवंटन।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति (कक्षा 09 व 10) के पूर्व वर्षों के शेष रहे विद्यार्थियों हेतु अतिरिक्त बजट आवंटन वर्ष 2015-16 से 2016-17 का राज्यांश/केन्द्रांश का वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्नांकित जिला शिक्षा अधिकारियों (माध्यमिक शिक्षा) को लेखामद 2202-02-107-06-02 13 राज्यनिधि/केन्द्रीय सहायता में उनके सामने अंकितानुसार बजट प्रत्याहित कर आवंटित किया जाता है :-

क्र.सं.	ऑफिस आई.डी.	जिले का नाम	जहां से राशि प्रत्याहरित की जानी है		आवंटित राशि	
			CA	SF	CA	SF
1	22087	JHALAWAR	922	1431701	--	--
2	2735	GANGANAGAR	1125	545201	--	--
3	3282	HANUMANGARH	2250	524388	--	--
4	17137	BUNDI	250	364640	--	--
5	11216	SIKAR-I	139847	306063	--	--
6	3735	BIKANER	14625	619451	--	--
7	21402	CHITTORGARH	--	--	159019	1681481
8	11219	SIKAR-II	--	--	--	2109963
		TOTAL	159019	3791444	159019	3791444

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-


- राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि की सीमा में ही किया जाये।
- छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानदण्डों / दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।
- छात्रवृत्ति की राशि का आहरण जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) के कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों हेतु किया जाएगा एवं राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा करवाई जावेगी।
- राशि का आवंटन पूर्व वर्षों के वंचित विद्यार्थियों हेतु किया गया है। अतः वर्ष 2016-17 तक के शेष विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण आवंटित बजट से उनके बैंक खातों में किया जावे।
- वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए जिन विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान नहीं हुआ है उन्हीं छात्रों के लिए उक्त राशि का आवंटन किया गया है।


 वित्तीय सलाहकार
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
 बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/एसटी-सीएसएस/2017-18 दिनांक : 21.08.2018

प्रतिलिपि :-

- महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
- सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाइट पर जारी करने हेतु।
- उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, _____
- लेखाधिकारी बतट कार्यालय हाजा को ऑनलाईन जारी करने हेतु।
- अनुभाग अधिकारी, (योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
- प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
- रक्षित पत्रावली।


 वित्तीय सलाहकार
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
 बीकानेर